(1)

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या : 32/2024

उनवान:- अब्दुल वाहिद वगै. बनाम अब्दुल बहाव वगै.

पत्रावली आज दिनांक 27.05.2024 पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी हो। आगामी पेशी पर अधिवक्ता वादीगण तामील की ट्रेक रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली वास्ते तल्बी आगामी पेशी दिनांक 30.05.2024 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

30/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० 2 की ओर से अधिवक्ता उमेश पारीक ने वकालतनामा व प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं०-1 की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व हो चुकी है। ना ही वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः वाद को खारिज किया जावे। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी सं०-1 की मृत्यु की जानकारी उन्हें नहीं है। वादी द्वारा विवादित आराजीयात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है, अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। प्रा०पत्र पर वकील उभयपक्षों को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट पेश किया गया है जबकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जब स्वयं वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है अन्य खातेदार काश्तकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरा वकील वादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद पेश किया है, जिससे यह सिद्ध है कि वादी द्वारा अपना वाद स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी सं० 2 द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रा०पत्र के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। चूंकि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय की है, अतः वादी को अपने अधिकारों हेतु यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय